

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

संख्या - 73/2023

पीठासीन अधिकारी - राजकेश भीना (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1 संजू पुत्री धीसू नाई उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 2 लक्ष्मी पुत्री धीसू नाई उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 3 गीता पत्नि स्व. धीसू नाई उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा

—(प्रार्थीगण)

बनाम

- 1 महावीर दत्तक रामसुख नाई उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 2 रामप्रसाद पिता मोहन नाई उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 3 कैलाश पिता खाना माली उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 4 गोपाल पिता रामचन्द्र बैरागी उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 5 महावीर पिता रामचन्द्र बैरागी उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 6 दुर्गा पिता लादू कीर उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 7 सम्पत पिता धन्ना कीर उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 8 प्रमोद पिता शिवराज नाई उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 9 विनोद पिता शिवराज नाई उम्र वयरक निवासी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 10 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला भीलवाडा

—(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 27.07.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 23.05.2023 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अरवड पटवार मण्डल अरवड भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 404 के आ.न. 1365/1849, 1457/1855, 1462/1853 किता 3 रकबा 0.63 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 30.05.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड पटवार मण्डल अरवड भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 404 के आ.न. 1365/1849, 1457/1855, 1462/1853 किता 3 रकबा 0.63 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामालात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीगण को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश भीना)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला जिला भीलवाड़ा